

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—


राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामन आवेग अवधि का वेतन कौलम संख्या 04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान	अवधि	राउमावि/राबाउमावि जहां से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्री नन्द किशोर शर्मा व्या संस्कृत, राबाउमावि सांगानेर, जयपुर	नवम्बर-21 से मार्च-22	राबाउमावि सांगानेर, जयपुर में व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद के विरुद्ध।
2	अभिषेक पारीक व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि ललानिया, हनुमानगढ	अक्टूबर-21 से मार्च-22	राउमावि मिर्जेवालीमेर, टिब्बी, हनुमानगढ में व्याख्याता कृषि के रिक्त पद विरुद्ध।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

Rajasthan Education Department





संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/वेतन व्यवस्था/2020-21
पतोलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

दिनांक : 01/02/2022

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित प्रधानाचार्य
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट
7. रक्षित पत्राचली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर